आपदा प्रबंधन विभाग
(बिहार राज्य आपदा अनुकिया बल)

एकरारनामा

यह एकरारनामा बिहार राज्य आपदा अनुकिया बल (एस0डी0आर0एफ0) एवं पद पर चयनित/नियुक्त होने वाले श्री .... के बीच निम्नांकित अवधि एवं सेवाशर्तो के साथ की जा रही है –

1. यह नियुक्ति केवल .... (पद का नाम) के लिये की जायेगी।
2. सेवा की अवधि नियुक्ति की तिथि से 3 वर्षो अथवा .... (पद का नाम) के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, इनमें से जो भी पहले घटित हो के लिए होगी। परन्तु कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर सेवा अवधि 3 वर्षो की समाप्ति के उपरांत अगले 2 वर्षो अथवा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, जो भी पहले घटित हो, तक बढ़ायी जा सकेगी। तत्पश्चात संविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। अक्षमता/ अनुशासनहीनता अथवा संतोषजनक प्रशिक्षण न होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. यह नियुक्ति में एक माह की नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह के एकमुश्त मासिक वेतन पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा समाप्त की जा सकती है। कर्मी भी एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन जमा कर इस बल को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।
4. नियुक्ति के उपरांत एक मुश्त मासिक वेतन ....रू0 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।
5. नियुक्ति के उपरांत आवंटित कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा एवं आवश्यकता होने पर, सक्षम प्राधिकार द्वारा, किन्ही अन्य कर्तव्यों का भी निर्धारण किया जा सकेगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं समझे जायेगें और न ही वह सरकारी कर्मियों को देय भविष्य निधि, उपादान, पेंशन, चिकित्सा भत्ता, प्रोन्नति इत्यादि के हकदार होंगे । भविष्य में बिहार सरकार के अधीन स्थायी नियोजन का उनका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णकालिक होगी और संविदा के अवधि के दौरान किसी अन्य नियुक्ति/नियोजन अथवा किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस अनुमत नहीं होगी ।
8. आवश्यकता पड़ने पर बिहार राज्य अथवा देश के किसी भी हिस्से के लिए अल्प सूचना पर अपनी सेवायें प्रदान करना चयन के उत्तरदायित्वों के अधीन होगा।
9. अनुशासनहीनता बरतने एवं कदाचार का दोषी पाए जाने पर अथवा उपलब्ध करायी गई किसी भी सूचना एवं जानकारी के गलत सिद्ध होने पर नियमसंगत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा ।
10. संविदा के नियुक्ति के उपरान्त दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्त्तें मान्य होगी। नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त एकरारनामा की किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

नियुक्त कर्मी

प्राधिकृत पदाधिकारी

तिथि :

स्थान :